आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड संख्या <u>6376</u>/रा०क0आ0उ०/जी०एस०टी०—विधि/2017—18 देहरादून :: दिनांक *28* मार्च, 2018

अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 के नियम 138 के उपनियम (14) के खण्ड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, अग्रिम आदेशों तक राज्य में माल के अन्तःराज्यीय परिवहन के लिये ई—वे बिल सृजित करना अपेक्षित नहीं होना अधिसूचित करती हूँ।
यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी।

(सीजन्या)

आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड।

Commissioner State Tax Uttarakhand No. .6.3.7.6../CSTUK/GST-Vidhi/2017-18

Dehradun :: Dated 28March, 2018

Notification

In exercise of the power conferred by clause (d) of sub-rule (14) of rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2018, I, the Commissioner, hereby, notify that no e-way bill is required to be generated for intra-state movement of goods in the State till further orders.

This notification shall come into force with effect from 01.04.2018.

(Sowjanya)

Commissioner State Tax, Uttarakhand.